राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Phone no. 0141 2227514 E-mail:- rajseedsprod@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

यू.ओ.नोट

राजसीड्स द्वारा राज्य/राज्य के बाहर की बीज उत्पादक कम्पनीयों के साथ बीज उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन कर संस्थाओं को बीज उपलब्ध कराने हेतु Contract Seed Production Programme Policy तैयार की गई है। पॉलिसी का आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट में शामिल करावें तथा निगम की वेबसाईट पर व्यापक प्रचार प्रसार बाबत् अपलोड करावें।

संलग्नः– Contract Seed Production Programme Policy की प्रति ।

(बी.आर. कडवा)
वरिष्ठ प्रबन्धक (उत्पादन)

कम्पनी सचिव, राजसीड्स, जयपुर

F2(Gr-1)/RSSC/Prod./E-proc Kh-2022/Soybean/2022-23 / 9392 Date: 01/07/2022

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Phone no. 0141 2227514 E-mail:- rajseedsprod@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Contract Seed Production Policy - 2022-2023

राजसीड्स द्वारा राज्य/राज्य के बाहर की बीज उत्पादक कम्पनीयों के साथ राज्य में निगम स्तर पर बीज उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन कर संस्थाओं को बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह बीज उत्पादन कार्यक्रम निगम के लिये एक नवाचार है जिसका नामकरण **Contract Seed Production Programme** रखा गया है। **Contract Seed Production Programme** से निगम को वित्तीय लाभ प्राप्त होगा तथा निगम के संसाधनों का भी पूर्ण उपयोग निगम एवं कृषक हित में किया जावेगा। **Contract Seed Production Programme** से राज्य के बीज उत्पादक कृषकों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी तथा निगम के उत्तम गुणवत्ता के बीजों के कारण दूसरे राज्यों में भी बीज निगम की साख में बढोतरी होगी।

Contract Seed Production Policy के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होगे :–

1. बीज उत्पादन कार्यक्रम का पंजीकरण राजस्थान राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था में निगम तथा संबंधित फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकृत किया जावेगा।
2. उत्पादन कार्यक्रम के लिये अनुबन्ध करते समय फर्म को बीज की कुल अनुमानित कीमत की 10 प्रतिशत राशि बतौर अमानत निगम में जमा करानी होगी। यदि उत्पादन कार्यक्रम के लिये अनुबन्ध के पश्चात् फर्म द्वारा अनुबन्धित बीज मात्रा का उठाव नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. निगम तथा फर्म की आपसी सहमति के आधार पर अनुबन्ध में भुगतान की शर्ते तय की जायेगी।
4. इस बीज उत्पादन कार्यक्रम मे प्राप्त प्रस्तावो पर फर्म, फसल का चयन, बीज उत्पादन की मात्रा का निर्धारण निगम हित मे गुणावगुण के आधार पर निगम की चयन समिति की अनुशंषा पर किया जावेगा। संस्थावार/फसलवार अनुबंध पृथक–पृथक किये जायेगे।
5. बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आधार बीज उपलब्धता एवं आपसी सहमति के आधार पर निगम या संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बीज उत्पादक कृषकों के लिये आधार बीज की विक्रय दर निगम की नीति के अनुसार होगी।
6. प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु प्रमाणीकरण संस्था के तत्समय के समस्त वास्तविक खर्चों का समावेश बीज लागत में किया जायेगा।
7. उत्पादित बीज की कुल लागत/विक्रय मूल्य का निर्धारण तत्समय की प्रचलित क्रय नीति का अनुसरण करते हुए निगम का प्रोफिट मार्जिन/सर्विस चार्जेज जोड़कर किया जायेगा।

8. निगम तथा कम्पनी के मध्य आपसी सहमति से निर्धारित बीज मात्रा हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। **चूंकि बीज** एक जैविक आदान है एवं बीज उत्पादन क़ार्यक्रम मृदा–जलवायवीय कारकों के अधीन है। अतः कुल अंतिम मानक मात्रा **(Final Passed & Packed Quantity)** ही कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. निगम द्वारा आपूर्तित बीज में बुवाई के पश्चात कम अंकुरण या मिश्रण होने की शिकायत पर कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर/निगम मुख्यालय द्वारा निर्धारित कमेटी से जॉच करवाई जायेगी। उक्त जॉच के आधार पर गुणवत्ता संबंधी शिकायत पर निर्णय लिया जायेगा।
10. कम्पनी के लिये निगम द्वारा आयोजित बीज उत्पादन कार्यक्रम यदि प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, भारी वर्षा, चक्रवात, भूकम्प तथा महामारी रोग, अथवा ऐसी कोई भी परिस्थिति जिस पर निगम का कोई नियंत्रण नही है, इत्यादि से प्रभावित होता है तो निगम किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी नही होगा।
11. **Contract Seed Production Policy** के अनुसार अनुबन्ध एवं इस नीति में आवश्यक परिवर्तन हेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक अधिकृत है।
12. विवाद के बिन्दुओं पर समस्त तथ्यों के आधार पर अध्यक्ष राजसीड्स एवं संबंधित कम्पनी के चेयरपर्सन आपसी सहमति से निर्णय करेगे जो कि दोनो पक्षों को मान्य होगा।
13. सभी प्रकार के विवादों के लिये न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।